डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 257/2011

1 गुरदयाल पुत्र नंद्राम जाति जाट निवासी जोड़कियां (विलोपित)

1/1 भानी सिंह पुत्र बिरजूसिंह उर्फ बृजलाल जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

-:वादी

बनाम

1 जेठी पत्नी स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

2 इन्द्राजसिंह पुत्र स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

3 चन्द्रसिंह स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

4 पृथ्वीसिंह स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

5 सुप्यार पत्नी स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

6 गोपाल सिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

7 राजवीर सिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

8 रूपसिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

9 भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

10 सुशीला कंवर पत्नी राजेन्द्रसिह पुत्र साहबराय सिंह जाति राजपुत निवासी माणक टिब्बी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

11 पुष्पा कंवर पत्नी कालूसिंह पुत्र केसूसिंह जाति राजपुत [illegible] /रिरा तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर

12 सुभाष चन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

13 बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

14 प्रेमसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ

15 पेपसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ

16 प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा खुण्जा, हनुमानगढ़ जंक्शन

17 प्रबन्धक ओबीसी शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested

18 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसील (राजस्व) हनुमानगढ़

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री देवीलाल भांभू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सोहनलाल सहारण प्रतिवादी सं. 4 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:– इस न्यायालय के प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक दिनांक 02.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया जिस पर किसी द्वारा आपति या एतराज पेश नहीं किया है इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाता है कि:– **हिस्सा वादी भानीसिंह पुत्र बिरजूसिंह उर्फ बृजलाल चक 2 जेआरके प.न. 112/241 मु.न. 12 कि.न. 11, 12, 13 कुल, 0.759 हैक्टेयर शेष जमाबंदी बदस्तूर खाता।** इसी अनुसार वादी का खाता अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 257/2011

1 गुरदयाल पुत्र नंद्राम जाति जाट निवासी जोड़कियां (विलोपित)
1/1 भानी सिंह पुत्र बिरजूसिंह उर्फ बृजलाल जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ

-:वादी

बनाम

1 जेठी पत्नी स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ
2 इन्द्राजसिंह पुत्र स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ
3 चन्द्रसिंह स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ
4 पृथ्वीसिंह स्व. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ
5 सुप्यार पत्नी स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
6 गोपाल सिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
7 राजवीर सिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
8 रूपसिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
9 भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणेश सिंह जाति राजपुत निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
10 सुशीला कंवर पत्नी राजेन्द्रसिह पुत्र साहबराय सिंह जाति राजपुत निवासी माणक टिब्बी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11 पुष्पा कंवर पत्नी कालूसिंह पुत्र केसूसिंह जाति राजपुत निवासी गिरेरां तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर
12 सुभाष चन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ
13 बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी जो[illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ
14 प्रेमसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी जोड़कि[illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ
15 पेपसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी जो[illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ
16 प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा खुण्जा, हनुमानगढ़ जंक्शन
17 प्रबन्धक ओबीसी शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
18 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसील (राजस्व) हनुमानगढ़

-:प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

उपस्थित :-

1. श्री देवीलाल भांभू – अधिवक्ता वादी
2. श्री सोहनलाल – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4
3. एक पक्षीय कार्यवाही – 1 ता 3, 5 ता 17
4. राज पैरोकार – प्रतिवादी सं. 18

-:निर्णयः-

दिनांक 25.04.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि प्रश्नगत भूमि चक 1 जे.आर.के. खाता संख्या 28 प.न. 112/240 (1) कि.न. 21, प.न. 112/241 (12) कि. न. 1 ता 3, 8 ता 20 प.न. 111/241 (13) कि.नं. 4 ता 7 15, 16 प.न. 110/241 (14) कि.न. 1/2, 10, 11, 21 कुल 5.718 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन यानी 22.12 बीघा कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सांझे खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 जे.आर.के. खाता संख्या 28 संवत् 2065 से 68 सलंग्न वादपत्र है जिससे यह रोशन है।

यह कि प्रश्नगत भूमि मे से वादी ने प.न. 112/241 कि.न. 11 व 12 की 2.00 बीघा भूमि जरिये तबादला प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज सिंह से दिनांक 18.03.2011 को प्राप्त की है तथा इसी पं.न. के किला नं. 13 की 1.00 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 15.04.2011 को प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की जाकर कब्जा भूमि वादी को सम्भलाया गया है तब से लेकर वादी प्रश्नगत भूमि पर लगातार काबिज होकर कास्त करता आ रहा है तथा वादी 3.00 बीघा भूमि का रिकार्डेड खातेदार है फोटो प्रति बैयनामा दिनांक 15.04.2011 इकरारनामा बतौर तबादलानामा दिनांक 18.03.2011 सलंग्न वादपत्र है जिससे यह साबित है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सांझा खाता होने के कारण सिंव, बट व लगान को लेकर आपस में तनाजा रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को मुताबिक कब्जा कास्त खाता व लगान अलग अलग कायम करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे आखिर आज से दस दिन पूर्व मुकाम जोड़कियां में कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

यह कि प्रश्नगत भूमि चक 1 जे.आर.के. खाता संख्या 28 प.न. 112/241 (12) किला न. 11, 12, 13, कुल 3.00 बीघा भूमि जरिये बैयनामा व तबादला मे मिली हुई भूमि है जिस पर वादी का तन्हा रूप से एकल कब्जा करत हैं तथा वादी ने अपने कब्जा कास्त की भूमि पर काफी मेहनत व पूंजी खर्च कर समतल व उपजाऊ बनाया गया है इसलिए वादी मुताबिक कब्जा कास्त प्रश्नगत भूमि का खाता अलग कायम करवाने का कानूनी मुस्तहक है।

यह कि वादी ने कुल 3-00 बीघा भूमि का प्रतिवादी [illegible] इन्द्राजसिह से कब्जा प्राप्त किया है। जिसमे से इन्द्राज सिह ने अपनी [illegible] भूमि मे से किला न. 13 की 1.00 बीघा भूमि तथा किला न. 11 व 12 [illegible]00 बीघा भूमि बतौर तबादला में वादी को दी जाकर कब्जा भूमि सौपा गया होने [illegible] कारण वादी मुताबिक कब्जाकास्त खाता व लगान अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के भूमि रहन होने तथा प्रतिवादी संख्या 12 भू-स्वामी होने के कारण फरीक दावा बनाया गया है। ताकि द्वारा मे कोई नुक्स आरिज न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादपत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्याय शुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। लिहाजा अर्जीदावा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे।

(क) कि प्रश्नगत भूमि चक न. 1 जे.आर.के. खाता संख्या 28 प.न. 112/241 (12) किला 11 ता 13 कुल 3 बीघा भूमि वादी का खाता व लगान अलग कायम करवाने का अधिकारी है। आदि आदि कथन सहित वाद पत्र पेश किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता सोहनलाल सहारण उपस्थित व जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 5 ता 17 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी गुरदयाल द्वारा अपना हिस्सा बेचान वादी सं. 1/1 के पक्ष में किये जाने के कारण जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी वादी 1/1 भानीसिंह को वाद पत्र शीर्षक संयोजित किया गया। प्रतिवादी सं. 18 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष अपने कब्जा काश्त के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही कर पाए। इसलिए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि चक 1 जे.आर.के. जमाबंदी संवत 2077-80 खाता संख्या 35/33 में दर्ज तादादी 5.718 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारो/सहखातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी 4.06.25 तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangat Lal
Date: 2025.07.22 14:45:28 IST
Reason: Self Attested

(...) RAS
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ